पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 1018-II-15

समक्षः- श्रीमान् अध्यक्षमहोदय, राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर.

==

प्र०क्र०

नुरमोहम्मद पिता मुश्ताक खाँ जी, पठान

निवासी संजीत तह. मल्हारगढ़. जिला मंदसौर.... आवेदक

बनाम

ईशाक एहमद पिता मुश्ताक खाँ जी. पठान

निवासी संजीत तहसील मल्हारगढ़. जिला मंदसौर...अनावेदक

श्री K.K. Dwivedi अधि. को द्वारा आज दि. 7.5.15 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

K.K. Dwivedi Adv. Gwalior 6/5/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भु. रा. संहिता अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत-2 बुढ़ा तहसील मल्हारगढ़. जिला मंदसौर के प्र०क्र055 ए 12/13 ईशाक एहमद बनाम म. प्र. शासन में पारित आदेश दिनां 4.7.2014 से असंतुष्ट होकर निगरानी ।

==

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नवत् प्रस्तुत हैः-

1. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि अनावेदक के द्वारा उसकी भूमि सर्वेनम्बर 71/2, 72/2, 74/1, रकबा क्रमशः 0.025, 0.32. 0.14. कुल रकबा 0.71 आरी स्थित ग्राम ~~संजीत~~ फोसरी तहसील मल्हारगढ़. जिला मंदसौर की भूमियों का सीमांकन कियजाने हेतु आवेदन पत्र पेशकिया ।

2. आवेदक को इस मामले में राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवार द्वारा सीमांकन की कोईलिखित सुचना नहीं दी गयी ।

3. राजस्व निरीक्षक वृत-2 बुढा व हल्का पटवारी ग्राम फोसर तहसील मल्हारगढ़ के द्वारा आवेदक को बिना कोइ सुचना दिये दिनांक 4.7.2014 को उक्त भूमियों का सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में करके अनावेदक की 25 कड़ी {5 मीटर} भूमि अवैधरूप से आवेदक के कब्जे में बता गयी है. जबकि मौके पर आवेदक व अनावेदक अपनी-अपनी भूमियों पर वर्षो से काबिज चले आ रहे है, आवेदक का अनावेदक की किसी भूमि में कोईअवैध कब्जा नहीं है।

नूर मोहम्मद इश्तियाक अहमद

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(17)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1018 / II / 15 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बुढा मल्हारगढ़ के प्रकरण क्रमांक 55/A-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 4.7.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	